बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सकारण आदेश

सं0सं0—18'ए'/न्याय—02—07/2026, 34(182) स्वा0, पटना, दिनांक— 07/05/2026

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या—5492/2022, अरूण कुमार मिश्र बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य के माध्यम से डा0 अरूण कुमार मिश्र ने ''दिनांक—01.01.2006 के प्रभाव से वेतन पुनर्निर्धारित करते हुए पेंशन निर्धारण करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध डा0 मिश्र के द्वारा स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—348(3) दिनांक—22.08.2014 के आलोक में किया गया है।

उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के आलोक में वेतनपूर्जा निर्गत करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना के द्वारा पेंशन संशोधन किये जाने के निमित्त ज्ञापांक—पेन—17—146 दिनांक—06.07.2022 के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से यह पृच्छा की गई है कि ''डा0 मिश्र दिनांक—07.08.2005 से दिनांक—14.04.2007 तक लगातार **अवकाश में रहे हैं। वित्त विभागीय संकल्प संख्या—630 दिनांक—21.01.2010 में यह प्रावधान है कि दिनांक—01.01.2006 को निलंबित, अवकाश या कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने वाले सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ उसके कर्तव्य पर लौटने की तिथि से लागू होगा।** डा0 मिश्र दिनांक—07.08.2005 से 14.04.2007 तक लगातार अवकाश में थे तथा दिनांक—15.04.2007 को **VRS** ले लिये हैं, जिसके कारण उन्हें दिनांक—01.01.2006 से डी0ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अनुरोध है कि डा0 मिश्र के **मामले की समीक्षा अपने स्तर से करते हुए वेतन निर्धारण में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा हो तो उसकी सूचना से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत करायी जाय।''**

उपरोक्त अनुरोध के क्रम में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की गई, वित्त विभाग द्वारा समीक्षोपरांत यह परामर्श दिया गया कि **''डा0 मिश्र की तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की देय तिथि 01.01.2006 है। दिनांक—01.01.2006 को डा0 मिश्र अवकाश में थे एवं अवकाश अवधि में ही ऐच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं। अतः षष्टम् एवं सप्तम वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या—630 दिनांक—21.01.2010 एवं संकल्प संख्या—3590 दिनांक—24.05.2017 में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण के समय अवकाश, निलंबन इत्यादि में रहने वाले पदाधिकारियों की वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में यह प्रावधान है कि "Government Employees who were under suspention or on leave or were not on duty on 1st January 2006 and 1st January 2016. The revised Pay structure will be applicable from the date of return to duty and no arrears would be admissible for the period of absence"** के आलोक में इनका वेतन पुनरीक्षण नहीं

होने के कारण दिनांक–01.01.2006 से तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0, जो ग्रेड पे अनुमान्य होता, की स्वीकृति भी प्रावधान सम्मत नहीं है''।

विदित हो कि मूल रूप से स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–367(3) दिनांक–29.04.2010 के परिशिष्ट–'ख' के आलोक में डा0 अरूण कुमार मिश्र को दिनांक–25.11.2008 के प्रभाव से डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य किया गया है (जिसे अधिसूचना संख्या–348(3) दिनांक–22.08.2014 के द्वारा संशोधित किया गया था) एवं डा0 मिश्र को VRS की स्वीकृति उन्हें पूर्व से प्रदत्त डायनेमिक ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि (दिनांक–25.11.2008) के पूर्व (दिनांक–15.04.2007 के प्रभाव से हीं) स्वीकृत की जा चुकी है, दिनांक–25.11.2008 को सरकारी सेवा में नहीं रहने के कारण डा0 मिश्र की डायनेमिक ए0सी0पी0 की अनुमान्यता भी नियमानुकूल नहीं है।

अतः उपरोक्त वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–367(3) दिनांक–29.04.2010 (जिसके द्वारा डा0 मिश्र को डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य किया गया है) एवं 348(3) दिनांक–22.08.2014 के परिशिष्ट 'ख' के क्रम संख्या–50 पर अंकित डा0 अरूण कुमार मिश्र को डी0ए0सी0पी0 के लाभ को दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से संशोधित तिथि की देयता को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

प्रस्ताव पर सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

7/5/2026

(मो० शफीक)

सरकार के संयुक्त सचिव।

संं0सं0–18'ए'/न्याय–02–07/2026 – 34(18र) स्वा0, पटना, दिनांक– 07-05-2026

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, (ले0एवंह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना को उनके ज्ञापांक–पेन–17–146 दिनांक –06.07.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विद्वान अधिवक्ता, श्री बिरजू प्रसाद (जी0पी0–13), श्री रवि कुमार, ए0सी0 टू जी0पी0–13, श्री अक्षय लाल प्रसाद, ए0सी0 टू जी0पी0–13, महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 अरूण कुमार मिश्र, पुत्र–स्व0 अनमोल मिश्र, निवास–न्यू कॉलोनी, वार्ड संख्या–09, सहरसा, सहरसा कहरा, जिला–सहरसा को इस अधिसूचना की प्रति निबंधित डाक से प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/5/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Nirbhay Ji Adhisuchna